कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–कार्यालय–आदेश–

श्री अमित सहारण (व्याख्याता– भूगोल) राआउमावि.पीथीसर, चूरू जन्मतिथि 05.03.1982 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 29.08.2019 से 05.09.2019 तक 08 दिवस की विदेश यात्रा (बन्कोक, थाईलेंड) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे:–
   (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (स) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (द) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांकः– 27/08/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..........................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर ::

–: अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा / पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही हैं । यदि इनका उक्त पद हेतु चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं हैं । यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोडने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य हैं ।

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा / पद हेतु आवेदन
1	सुशीला–माडपुर, देसूरी, पाली	15.06.1984	प्रधानाध्यापक–2018
2	आदित्य नागर–रहलाना, दूदू, जयपुर	02.08.1986	प्रधानाध्यापक–2018, आर.ए.एस.–2018
3	सत्यपाल यादव–मोहरा कलां, रायपुर, पाली	03.07.1988	हरियाणा लोक सेवा आयोग सहायक प्रोफेसर परीक्षा–2019
4	बबलू कुमार–उपलाखेजडा, आबूरोड, सिरोही	08.07.1985	आर.ए.एस.–2018

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/संस्था/सी–6/राज0विज्ञान/परीक्षा अनुज्ञा/2018–19 दिनांकः–27/08/2019

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..................।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी............................।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर